न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 29 / 2013

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2013 / 00013

प्रार्थीगण

1 भगवाना पुत्र दानाजी,
2 बाबू पुत्र दानाजी
जातियान–बिश्नोई, निवासीगण–
दाता, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण

1 लाला पुत्र सोना
2 रामकिशन पुत्र सोना
जातियान–बिश्नोई, निवासीगण–
दाता, तह–सांचौर, जिला–जालोर
3 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी
तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 02.09.2013

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदाराम बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही।
3. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 10.01.2025

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है ग्राम दाता में मेरे कृषि प्रयोजन की खातेदारी भूमि आई हुई है। जिसमें मेरे रहवासीय ढ़ाणी है तथा खातेदारी खेत में काश्त कर मेरे परिवार का पेट पालता हुं। मेरे खातेदारी का खेत जिसके खसरा नंबर 692 व ढ़ाणी खसरा नंबर 697 है तथा मेरे खेत में आने जाने के लिए हमारे पुश्तैनी इसी खेत से होकर राजकीय मार्ग से आना जाना है। खेत खसरा पुराने 234 जो पहले सोना वल्द तुलसीया के नाम की खातेदारी 56 बिघा की थी। उस खातेदारी के खेत की आपसी भाईयों बंटवाड़ा में खसरा नंबर नये 692, 698, 701 सृजित हुए जो खसरा नंबर 701 लाल पुत्र सोना को बंटवाड़े में दिया गया तथा खसरा नंबर 698 रामकीशन पुत्र सोना को बंट में दिया गया तथा खसरा नंबर 692 हम प्रार्थीगण के पिता दाना पुत्र सोनाजी को बंट में दिया गया। हमारे पिता फौत होने पर हम प्रार्थीगण भगवाना पुत्र बाबू के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ है हमारे आने जाने के लिए पुश्तैनी भूमि में से बंटवाड़े से पहले से ही रास्ता खसरा नंबर 701, 698 में से होकर नजरी नक्शा माफिक मार्क 'ए' से 'बी' भाग पर रास्ता चलता था जो हमारे खातेदारी को रास्ते से जुड़ता था जिसे अप्रार्थीगण ने अभी कुछ रोज पूर्व बंद किया तब हमने पुलिस कार्यवाही की व [illegible] के पर जाकर रास्ता खुलवाया परन्तु अप्रार्थीगण ने रास्ता पुनः बंद कर दिया है जिससे [illegible] यह एक मात्र रास्ता था जो अवरूद्व हो गया है जिससे हम हमारे घर में कैद होकर [illegible] है तथा हमारे खातेदारी के खेत का इस रास्ते के अभाव में उपयोग व उपभोग खत्म हो गया है [illegible] किसान वर्ग के व्यक्ति जो खेती पर निर्भर है। खेती रास्ते के अभाव में संसाधनों के आवागमन के अभाव में किया जाना नामुमकिन है। खेत खसरा संख्या 692 के लिए व उसमें बनी ढ़ाणी खसरा संख्या 697 के लिए उसके उपयोग व उपभोग हेतु हमारे ही पुश्तैनी खेत खसरा नंबर 701 जो लाल पुत्र सोना के खातेदारी का है तथा खसरा नंबर 698 जो रामकिशन पुत्र सोना के खातेदारी में दर्ज है जो उनके नाम जरिये बंटवाड़ा दर्ज हुआ है। उसमें से होकर रास्ते की माफिक नजरी नक्शा मार्क 'ए' से 'बी' भाग पर मांग करते है जहां से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

हमारे खेत में आने जाने के लिए सबसे नजदीक व सुलभ रास्ता यही है जिसकी हमने मांग की है जो अप्रार्थीगण के खेत में से रास्ता राजस्व रेकर्ड में अभिलिखित करने हेतु आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 692, 697 के लिए अप्रार्थी लाल के खेत खसरा संख्या 701 व अप्रार्थी रामकिशन के खेत खसरा संख्या 698 में से होकर नजरी नक्शे माफिक रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अभिलिखित करने का आदेश फरमावें।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एकपक्षीय सुनी गई। बहस समायत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेज, नजरी नक्शा एवं भू अभिलेख निरीक्षक पांचला की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 13.12.2022 का गहनता से अध्ययन कर बहस पर मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :–

251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा [illegible] को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि [illegible] लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो बीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें [illegible] होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जाएगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा साथ ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो तथा निकटतम स्थान से मार्ग स्वीकृत किया जावेगा। भू–अभिलेख निरीक्षक पांचला की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 13.12.2022 से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 698 व 701 में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गई, परन्तु वर्तमान में मांगे गये रास्ते की माठ के लगते हुए खसरा संख्या 686 व 688 में तारबंदी कर रास्ता बनाया हुआ है तथा उसी रास्ते से प्रार्थीगण आवागमन कर रहे है तथा आज दिनांक को रास्ता मौके पर खुला हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि केवल सुविधा स्थान से मार्ग स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं होकर केवल सुविधा हेतु मार्ग चाहा गया है अतएवः प्रार्थीगण की आत्यांतिक आवश्यकता साबित नहीं होने एवं पूर्व से मार्ग की उपलब्धता होने से उक्त राजस्व प्रार्थना–पत्र भली प्रकार साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पूर्व से मार्ग की उपलब्धता वैकल्पिक मार्ग एवं आत्यांतिक आवश्यकता साबित नहीं होने व सारवान नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **10.01.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:06 IST
Reason: SelfAttested